केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सीमाशुल्क अधिकारियों कर्मचारियों पर छापा मारा जाना

*279. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सीमा-शुल्क विभाग में कोई छापा मारा गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनसे कुल कितनी राशि बरामद हुई; और

(ग) क्या सीमा-शुल्क विभाग के कर्मचारियों ने छापों के विरोध में हड़ताल की थी; यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (ग) कलैन्डर वर्ष 1994 और 1995 के दौरान, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियां रखने, रिश्वत की मांग करने तथा इसे स्वीकार करने आदि आरोपों के आधार पर 71 सीमाशुल्क अधिकारियों के आवासों तथा कार्यालयों की 49 तलाशियां ली गई थी। इन 71 अधिकारियों से बरामद की गई कुल राशि 7.62 लाख रु० है। इनके ब्यौरे नीचे विवरण में दिए गए हैं:

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	शामिल अधिकारियों की संख्या	ली गई तलाशियों की सं०	गिरफ्तार किए गए अधिकारियों की संख्या	वसूल की गई कुल राशि
1994	9	117	16	10	2,18, 917 रु०
1995	10	54	33	42	5,43,220 रु०
	27	71	49	52	7,62, 137 रु०

सितम्बर, 1994 में, मुम्बई सीमाशुल्क गृह में सभी संवर्गों के अधिकारियों ने तथा दिल्ली सीमाशुल्क गृह के कतिपय संवर्गों के अधिकारियों ने प्रदर्शन किए थे। सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा जिस तरह से आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों पर छापे मारे थे, उसका विरोध करने के लिए प्रदर्शन किए थे। सीमाशुल्क अधिकारियों के रोष का कारण यह था कि तकनीकी मुद्दों पर भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी सीमाशुल्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण किए बिना ही छापे मार रहे थे अथवा छापे मारने अथवा तलाशी वारंटों के बिना आवासों की देने से पूर्व सीमाशुल्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित नहीं कर रहे थे। प्रदर्शनों में भाग लेने वाले किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है।

Legal sanction to model code of conduct for election

*280. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government are considering to give legal sanction to model code of conduct for election; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS, LEGISLATIVE DEPARTMENT AND DEPARTMENT OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) and (b) The proposal to give legal sanction to part VII of Model Code of Conduct is likely to be discussed again by the Gov-